न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010036682026

Bail Application/970/2026
Arun Bansal Vs. State of U.P.
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 970/2026

1. अरूण बंसल पुत्र प्रकाश चन्द बंसल
2. सरिता बंसल पत्नी अरूण बंसल, निवासीगण ए 11, पंचशील गार्डन नवीन शाहदरा थाना शाहदरा ईस्ट दिल्ली–110032 ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु०अ०सं०–152/2026
अ0धारा 63,65 कापीराईट एक्ट 1957
थाना–पिलखुवा, जिला हापुड ।

02.06.2026

अभियुक्तगण अरूण बंसल व सरिता बंसल की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में अर्न्तगत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्तगण निर्दोष है। थाना हाजा की पुलिस द्वारा वादी मुक्कद्दमा से साज करके मुकदमा उपरोक्त में फसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो अपराध उपरोक्त की श्रेणी में आता हो। प्रार्थी/ अभियुक्तगण की एक फैक्ट्री वानिक उद्योग बजरंगपुरी कस्बा पिलखुवा जिला हापुड में है। जिसकी देख रेख व सम्पूर्ण कार्य की जिम्मेदारी रवि तायल पुत्र रामवतार की है तथा उसी के द्वारा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न किया जाता है। अभियुक्त संख्या–2 सरिता बंसल का उक्त फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्ता मात्र ग्रहणी है। प्रार्थी/ अभियुक्तगण की फैक्ट्री से जो सेरा कम्पनी के टोंटी, शावर की जो बरामदगी पुलिस द्वारा दर्शायी गयी है। वह फैक्ट्री से दर्शायी गयी है। जिसका कोई स्वतंत्र साक्षी नही है तथा प्रार्थी/ अभियुक्तगण उस समय फैक्ट्री पर मौजूद नहीं थे। पुलिस द्वारा वादी मुकदमा से साज करके बिना प्रार्थी/ अभियुक्तगण को सूचित किये फैक्ट्री से फर्जी व कूटरचित बरामदगी दर्शायी गयी है। वादी मुकदमा व पुलिस द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है कि उक्त सेरा कम्पनी की टोंटी व शावर प्रार्थी / अभियुक्तगण की फैक्ट्री में बनाये जा रहे हैं और कहां बेचे जा रहे हैं। चूँकि पुलिस द्वारा सिर्फ 29 कटटे माल बरामद किया गया है। कोई मशीनें बरामद नहीं हुई है। जिससे टोंटी व शावर

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.06.03 16:46:15 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

बनाये जा रहे हैं। फैक्ट्री में सिर्फ रवि तायल उपस्थित मिले हैं कोई कर्मचारी टोंटी सावर बनाने वाले मजदूर व लेबर का फैक्ट्री में ना होना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि वहां कोई निर्माण कार्य नही हो रहा है। सेरा कम्पनी द्वारा फर्जी रूप से वादी मुकदमा मनीष जिन्दल को अधिकृत कर उक्त फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उक्त घटना एक व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। तथा सेरा कम्पनी द्वारा स्वयं को लाभ पहुंचाने व प्रार्थी/ अभियुक्तगण को हानि पहुंचाने के उददेश्य से दबाव बनाने की नियत से उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ताकि बाजार में शेरा कम्पनी का वर्चस्व बना रहे। वादी मुकदमा अक्सर इण्डस्ट्रीयल एरिया में जाकर तथा फैक्ट्रीयों पर पुलिस का छापा पडवाने की धमकी देकर फैक्ट्री मालिकों से जबरन धन वसूली करता है तथा उनके द्वारा फर्जी रूप से उक्त सभी कार्यवाही करायी जाती हैं। प्रार्थी/ अभियुक्तगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नही हैं और ना ही सजायाफ्ता है प्रार्थी / अभियुक्तगण उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। प्रार्थी / अभियुक्तगण के फरार होने की कोई सम्भावना नही हैं। प्रार्थी/ अभियुक्तगण को वादी मुकदमा झूठा मुकदमा पंजीकृत कराकर अपमान करने व गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने के उददेश्य से गिरफतार कराने की फिराक में है। प्रार्थी/ अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की सूरत में प्रार्थी/ अभियुक्तगण माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। प्रार्थी/ अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा अगर अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो प्रार्थी / अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नही छोडेगा तथा मुकदमा में पुलिस अधिकारी धविवेचक द्वारा तलब किये जाने पर पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध रहेगा। व कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन नही देगा। प्रार्थी/ अभियुक्तगण माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित की गई समस्त शर्तों का अक्षरतः पालन करने को पूर्ण रूप से तैयार है। प्रार्थी/ अभियुक्तगण को पूर्ण विश्वास व अन्देशा है कि प्रार्थी /अभियुक्तगण को पुलिस अजमानतीय अपराध में लिप्त मानते हुये गिरफ्तार कर बेईज्जत करना चाहती है। प्रार्थी/ अभियुक्तगण को आशंका है कि झूठे केस के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्तगण को दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि प्रार्थी/ अभियुक्तगण का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। प्रार्थी/ अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने उभय पक्ष के तर्को पर विचार किया तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अनुसार अग्रिम जमानत में न्यायालय निम्नलिखित बातें पर विचार करेगी–

(1) अभियेाग की प्रकृति और गम्भीरता

(2) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ।

(3) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता और

(4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी कि '' मैं मनीष जिन्दल सुपुत्र श्री सुरेन्द्र जिन्दल ,Best home city neast kharar] Panjab का रहने वाला हूँ और Invictus IPR मे बतौर Manager कार्यरत हैं। जोकि Cera Sanitary ware Lid द्वारा मेरी आधिकारिक कम्पनी cera Sanitary wore Ltd के ब्रांड cera के नाम से या मिलता जुलता मार्का लगा हुआ या लगाकर बनाते और बेचते है तो उन पर पुलिस प्रशासन को साथ लेकर बनती कानूनी कार्यवाही करवाऊ, मुझे सूत्रो से पता चला कि वानिक उद्योग बजरगपुरी पिलखुवा जिला हापुड़ के मालिक अरुण बसल व सरिता बसल मेरी आधिकारिक कम्पनी cera के नाम से नकली FAUCETS (टोटी, शायर आदि) अपने कारखाने मे बनाकर मार्केट में बेच व सप्लाई कर रहे है। इस सूचना पर आज मै थाना पिलखुवा आया और थाना प्रभारी साहब को सारी सूचना से अवगत करवाया जिस पर तुरन्त पुलिस की एक टीम उ0नि0 मेजर सिह विर्क, व हे0का0 592 विजेन्द सिंह मेरे साथ उक्त पते के लिए रवाना हुये। मैं अपनी टीम के फील्ड ऑफीसर दीपक कुमार पुत्र श्री जधीश कुमार निवासी ए– 334 युध मार्ग नियर मदर कान्वेंट स्कूल मंडावली फजलपुर दिल्ली तथा पुलिस टीम के साथ वानिक उद्योग बजरगपुरी पिलखुवा पहुँचे। जहाँ पर मिले व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम रवि तायल पुत्र राम अवतार निवासी म0नं0–13 गौपुरी, गौशाला फाटक थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद उम्र–42 वर्ष बताया तथा अपने आप को वानिक उद्योग कंपनी का मैनेजर बताया। कारखाने की चैकिंग करने पर कारखाने के अन्दर से cera का नाम छपी हुई (गारनेट एगल कोक कुल 130 पीस (2) विक्टर वाथ टप स्पूविथ कुल 26 पीस (3) गारनेथ टू वे एगल कोक– कुल 60 पीस (4) गारनेथ विग कोक लग 166 पीस (5) पिलर कोक–फुल 119 पीस (6) बिब कोक–कुल 176 पीस (7) टोटी कैप कुल 500 पीस (8) एगल बाल– कुल 92 पीस (सावर पाईप–183 पीस (9) बाश टी– फुल 124 पीस (कैप प्लेट– कुल 270 पीस (10) विक्टर नान सावर मिक्सर–02 पीस (11) वेशिग मिक्सर कुल 03 पीस (12) वारन्टी कार्ड– कुल 2150 पीस (13) सेरा स्टीकर– फुल–1850 पीस (14) सेरा के एमआरपी स्टिकर कुल–1960 (15) एक अट्ट लैपटाप सैमसंग कम्पनी (16) एक अदद टीएससी मार्का कम्पनी छोटा स्टिकर वाला पिन्टर (17) टोटी पैक करने वाले कपडे के छोटे थेले कुल–9000 (18) cera के टोटी पैक करने वाले गते के बड़े व छोटे डिब्बे कुल–3500 मिले। जोकि नकली सामान बनाकर असली

सेरा कम्पनी का नाम का लेवल व स्टीकर लगाकर बेच रहा था। जिनको मेरे द्वारा चैक किया गया तो नकली पाये गये जिसकी मौके पर ही जमेज त्मचवतज तैयार की गयी तथा बरामद सभी माल को बरामदगी के अनुसार प्लास्टिक के कुल 29 कट्टों में रखकर मौके पर सील किया गया। बरामद उपरोक्त सभी नकली FAUCETS (टोटी, शावर आदि) को टेस्ट रिपोर्ट के साथ लाकर थाने में सुपुर्द किया गया। रवि तायल को भी सभी उपरोक्त बरामद सामान के साथ थाने लाया गया। उपरोक्त व्यक्तियो द्वारा अनाधि कृत रूप से cera कम्पनी के नाम के नकली FAUCETS (टोटी, शावर आदि) बनाये गये है , जो कि कापी राईट एक्ट का अपराध है । अतः आपसे अनुरोध है कि उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाये और कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये ।''

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि–व्यवस्था सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य व अन्य (2020) 5 एस0एस0सी0 (1) (संवैधानिक पीठ) में यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत एक आपवादिक अधिकार है, जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए और यह कोई निर्वाद अधिकार नहीं है।

अग्रिम जमानत देने के सम्बन्ध में न्यायालय को अन्य बातों के अतिरिक्त अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता व इस सम्भाव्यता पर ध्यान देना चाहिए कि, आवेदक द्वारा अभियुक्त को ऐसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी /अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अ०सं०–152/2026,अ0धारा 63,65 कापीराईट एक्ट 1957, थाना–पिलखुवा, जिला हापुड में अभियोग पंजीकृत है। प्रार्थी /अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी कम्पनी cera के नाम से नकली FAUCETS (टोटी, शायर आदि) अपने कारखाने मे बनाकर मार्केट में बेचने व सप्लाई करने का गंभीर आरोप है तथा चैकिंग करने पर कारखाने के अन्दर से cera का नाम छपी हुई (गारनेट एगल कोक कुल 130 पीस (2) विक्टर वाथ टप स्पूविथ कुल 26 पीस (3) गारनेथ टू वे एगल कोक– कुल 60 पीस (4) गारनेथ विग कोक लग 166 पीस (5) पिलर कोक–फुल 119 पीस (6) बिब कोक–कुल 176 पीस (7) टोटी कैप कुल 500 पीस (8) एगल बाल– कुल 92 पीस (सावर पाईप–183 पीस (9) बाश टी– फुल 124 पीस (कैप प्लेट– कुल 270 पीस (10) विक्टर नान सावर मिक्सर–02 पीस (11) वेशिग मिक्सर कुल 03 पीस (12) वारन्टी कार्ड– कुल 2150 पीस (13) सेरा स्टीकर– फुल–1850 पीस (14) सेरा के एमआरपी स्टिकर कुल–1960 (15) एक अट्ट लैपटाप सैमसंग कम्पनी (16) एक अदद टीएससी मार्का कम्पनी छोटा स्टिकर वाला पिन्टर (17) टोटी पैक करने वाले कपडे के छोटे थेले कुल–9000 (18) cera के टोटी पैक करने वाले गते के बड़े व छोटे डिब्बे कुल–3500 मिले। जोकि नकली सामान बनाकर असली सेरा कम्पनी का नाम का लेवल व स्टीकर लगाकर बेचने का गंभीर आरोप है । प्रश्नगत प्रकरण में अभी

विवेचना जारी है तथा अभियुक्तगण को विवेचक द्वारा दौराने विवेचना धारा 35 (3) बी०एन०एस०एस० के नोटिस पर रिहा नहीं किया गया है । अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र केवल उन अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है, जहां आवेदक/ अभियुक्त को या तो झूठा फंसाया गया हो या आवेदक/ अभियुक्त को अपमानित या आहत करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया हो, जो न्याय के उद्देश्यों को अग्रसारित करने वाले न हों। केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्तगण को मात्र क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के लिए झूठा नामित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्तगण को इस स्तर पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्तगण का कृत्य अत्यन्त गंभीर प्रकृति का अपराध है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अरूण बंसल व सरिता बंसल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–152/2026,अ0धारा 63,65 कापीराईट एक्ट 1957, थाना–पिलखुवा, जिला हापुड के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।